न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(बइजलास गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

(1) **पंचायत निगरानी संख्याः 252/2020**

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. इन्द्रा देवी पत्नी हरिशंकर, जाति-पुरोहित, निवासी-वाटेरा, तह.पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

(2) **पंचायत निगरानी संख्याः 256/2020**

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. मंजूदेवी पत्नी भेराराम, जाति-घांची, निवासी- वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

(3) **पंचायत निगरानी संख्याः 263/2020**

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. सुगनादेवी पत्नी हीराराम, जाति-जणवा, निवासी-वाटेरा, तह.पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

(4) **पंचायत निगरानी संख्याः 264/2020**

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. सुगनादेवी पत्नी चम्पालाल, जाति-घांची, निवासी-वाटेरा, तह.पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

(5) **पंचायत निगरानी संख्याः 267/2020**

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. रोमु देवी पत्नी [illegible], जाति-रेबारी, निवासी-वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:09:22 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज दो

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

(6) <u>पंचायत निगरानी संख्या: 270/2020</u>

<u>प्रार्थी</u>

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

<u>अप्रार्थी</u>

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. करुणादेवी पत्नी गोविन्द, जाति-पुरोहित, निवासी-वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

(7) <u>पंचायत निगरानी संख्या: 286/2020</u>

<u>प्रार्थी</u>

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

<u>अप्रार्थी</u>

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. लीलादेवी पत्नी माधुराम, जाति-पुरोहित, निवासी-वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

<u>"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"</u>

<u>उपस्थिति:</u>

1. श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही
2. श्री दुर्गेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा

-: निर्णय :- <u>दिनांक 18 मार्च, 2021</u>

(1) संक्षिप्त में इन प्रकरणों के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा उपर्युक्त अनवान के अलग अलग निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 एवं इस प्रस्ताव के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत प्रारुप-23ख में जारी पट्टा विलेख संख्या क्रमशः 12007 दिनांक 08.6.2017, 12011 दिनांक 08.6.2017, 12018 दिनांक 08.6.2017, 12019 दिनांक 08.6.2017, 12022 दिनांक 08.6.2017, 12025 दिनांक 08.6.2017, व 12042 दिनांक 08.6.2017 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किये गये है।

(2) प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्ड्वाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी आवेदन जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही के क्षेत्राधिकार के होने से जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही में प्रस्तुत किये गये। जिला कलक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांक:कोर्ट/2020/74[illegible]43 दिनांक 20.10.2020 से उक्त निगरानी आवेदन इस न्यायालय को सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किये [illegible] न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किये जाकर इन सभी निगरानी [illegible] किये जाकर तामिल करवाये गये। इन प्रकरणों [illegible] नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी इस

....पेज तीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:09:22 IST
Reason: SelfAttested

पंचायत निगरानी संख्या: 252/2020, 256/2020, 263/2020, 264/2020, 267/2020, 270/2020 व 286/2020

न्यायालय में उपस्थित नही होने एवं अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से जवाब भी प्रस्तुत नही होने के कारण इन सभी प्रकरणों में अप्रार्थी संख्या-2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इन प्रकरणों में अप्रार्थी संख्या-1 (सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा) को नोटिस की तामिल होने पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 12.3.2021 को श्री दुर्गेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर अलग अलग जवाब प्रस्तुत किये।

(3) उक्त सभी निगरानी प्रकरण समान तथ्यों एवं समान कानूनी बिन्दुओं पर आधारित होने एवं ये सभी निगरानी प्रकरण ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा जारी पट्टा विलेखों से संबंधित होने के कारण इन सभी निगरानी प्रकरणों में संयुक्त रुप से बहस सुनी जाकर इन प्रकरणों का एक ही निर्णय के द्वारा गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

(4) इन सभी प्रकरणों में दिनांक 12.3.2021 को श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही व ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा की बहस सुनी गई। बहस के दौरान श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही ने निगरानी आवेदनों में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत अप्रार्थी संख्या-2 को रियायती दर पर भूखण्ड का आवंटन करने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 को पारित करते हुए इस प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत प्रारुप-23ख में पट्टा विलेख जारी किये गये है, जो नियम विरुद्ध है। ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 को रियायती दर पर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत पट्टे जारी करने का निर्णय लिया गया है और पट्टा विलेख राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत प्रारुप 23 ख में जारी करना नियम विरुद्ध है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अन्तर्गत ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह या गृह स्थल नही है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी-झौपडी/कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 वर्ग गज तक कब्जे के नि:शुल्क विनियमितीकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमि का पट्टा (प्ररुप 23 ख) ऐसी महिला को जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत पंचायत ग्राम की आबादी में 300 वर्गगज तक की भूमि अनुसूचित जाति/जनजाति, स्वच्छकारों, पिछडे वर्ग के सदस्यों, कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, बी.पी.एल. में चयनित परिवारों, विकलांगों, घुमन्तु जनजातियों, गाडिया लुहारों या जिनके आवास बाढ के कारण ... रहने योग्य नही रहे है को रियायती दर पर/नि:शुल्क आवंटन कर सकेगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र ...)पीसी/परावि/आबादी पट्टा/2009/96 दिनांक 06.1.2020 में स्पष्ट किया है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158

...पेज चार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:09:22 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पंचायत निगरानी संख्याः 252/2020, 256/2020, 263/2020, 264/2020, 267/2020, 270/2020 व 286/2020

के तहत कमजोर वर्गों को रियायती दर पर/निःशुल्क भूखण्ड आवंटन का प्रावधान है एवं बीपीएल सेन्सस 2002 के सर्वे में ऐसे परिवार जिनके पास राज्य में कोई भूखण्ड या मकान नही है और वे इस नियम में भूखण्ड पाने के पात्र है। पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र संख्या एफ.4(1)पराวि/पीसी/आभू/2004/597 दिनांक 18.6.2004 में स्पष्ट किया है कि पात्र परिवार की वार्षिक आय 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) से अधिक नही हो। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने अप्रार्थी संख्या-2 के वार्षिक आय का प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही एवं अप्रार्थी संख्या-2 का राज्य में कहीं पर भी आवासीय मकान या आवासीय भूखण्ड है या नही, की जांच किये बिना ही रियायती दर पर/निःशुल्क भूखण्ड का आवंटन करते हुए पट्टे जारी किये है, जो विधि अनुरुप नही है। यह कि ग्राम पंचायत, वाटेरा को आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 142 के तहत प्लान तैयार किये बिना ही पट्टे जारी किये है। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों से आबादी विस्तार हेतु आवंटित आबादी भूमि का सीमाज्ञान भी नही करवाया है। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रदत्त प्रावधानों का पालन किये बिना ही अपात्र व्यक्तियों को रियायती दर पर भूखण्ड का आवंटन कर पट्टे जारी किये है, जबकि अप्रार्थी संख्या-2 रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने की पात्रता नही रखते है। अतः इन निगरानी आवेदनों को स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में रियायती दर पर भूखण्ड के जारी पट्टा विलेखों को निरस्त किया जावे। बहस के दौरान ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही के कथनों की ताईद की गई।

(5) इन प्रकरणों में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावलियों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 05.6.2017 में प्रस्ताव संख्या 7 पारित कर अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लेते हुए इस प्रस्ताव 7 दिनांक 05.6.2017 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत प्रारुप-23ख में पट्टा विलेख संख्या क्रमशः 12007 दिनांक 08.6.2017, 12011 दिनांक 08.6.2017, 12018 दिनांक 08.6.2017, 12019 दिनांक 08.6.2017, 12022 दिनांक 08.6.2017, 12025 दिनांक 08.6.2017, व 12042 दिनांक 08.6.2017 को जारी किये गये है।

राजस्थान पं[illegible] 158(1) के अनुसार पंचायत, गांव आबादियों में 3000 वर्गगज तक [illegible]दी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ा वर्ग के [illegible] को, गांव कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन [illegible] कार्यक्रम में चयनित परिवारों,

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:09:22 IST
Reason: SelfAttested

....पेज पांच

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पंचायत निगरानी संख्या: 252/2020, 256/2020, 263/2020, 264/2020, 267/2020, 270/2020 व 286/2020

विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडियों लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नही है और ऐसे बाढग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये है या गृह स्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, को रियायती दरों पर आवंटन कर सकेगी।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उपखण्ड़ अधिकारी, पिण्ड़वाडा के आदेश क्रमांक:राजस्व/2016/208 दिनांक 11.3.2016 के द्वारा ग्राम पंचाययत, वाटेरा को ग्राम वाटेरा के खसरा संख्या 382, 697, 1148 किस्म क्रमश: गै.मु. पहाड, गै.मु. पत्थर, गै.मु. पत्थर में से रकबा क्रमश: 5.00 बीघा, 1.12 बीघा व 0.07 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई थी। उपखण्ड़ अधिकारी, पिण्डवाडा के इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या-3 के अनुसार अतिक्रमण शुदा कब्जे की भूमि को बाजार दर पर राशि जमा कराने पर ही आबादी के लिये ग्राम पंचायत विक्रय कर पट्टा जारी करेगी, अन्यथा अतिक्रमियों को मौके से बेदखल कर दिया जायेगा। इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या-4 के अनुसार यदि ग्राम पंचायत रियायती दर पर पट्टा देने का निर्णय लेती है तो अतिक्रमियों के पास आवास है या नही, आय आदि के बारे में ग्राम पंचायत की समिति में ग्रामसेवक व पटवारी (मौका रिपोर्ट वाली समिति में) शामिल किया जाकर ही नियमानुसार पट्टे जारी किये जा सकेंगे। आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 के अनुसार पंचायत आबादी भूमि के भूखण्ड़ों का नक्शा प्लान तैयार कर ग्राम सभा से अनुमोदन कराना होगा। पंचायती राज अधिनियम व उसके अर्न्तगत बने नियमों के अनुसार भूखण्ड़ पाने की पात्रता रखते है, उन्हें नियमानुसार भूखण्ड़ आवंटन किये जा सकेगें। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज श्री केतन ओझा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हिराराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट की छायाप्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा ने आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का नक्शा प्लान तैयार नही किया है। ग्राम पंचायत, वाटेरा के पास ऐसा कोई प्लान नक्शा उपलब्ध नही है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कौन से खसरा संख्या नंबर में कौनसा पट्टा विलेख जारी किया है, जो उपखण्ड़ अधिकारी, पिण्डवाडा के उक्त आवंटन आदेश दिनांक 11.3.2016 की शर्त संख्या-6 का उल्लंघन है। उपखण्ड़ अधिकारी, पिण्डवाडा के उक्त आवंटन आदेश की शर्त संख्या-4 के अनुसार यदि ग्राम पंचायत रियायती दर पर भूखण्ड़ आवंटन का निर्णय लेती है तो इन व्यक्तियों/अतिक्रमियों के पास आवास है या नही, आय आदि के बारे में ग्राम पंचायत की समिति में ग्रामसेवक व पटवारी को (मौका रिपोर्ट लेने वाली समिति में) शामिल किया जाकर ही नियमानुसार पट्टे जारी किये जा सकेंगे, लेकिन ग्राम पंचायत, वाटेरा ने उपखण्ड़ अधिकारी, पिण्डवाडा के इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या-4 की भी पालना नही की है। इससे, यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा ने आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का नक्शा प्लान तैयार करवाये बिना ही राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत अप्रार्थी संख्या-2 के रियायती दर पर भूखण्ड़ आवंटन की पात्रता की जांच

....पेज छ:

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:09:22 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

किये बिना ही रियायती दर पर भूखण्ड़ आवंटन के पट्टा विलेख जारी किये है, जो विधि सम्मत नही है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज श्री केतन ओझा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हिराराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत्त समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट की छायाप्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि रेबारी समाज के व्यक्तियों के पुराने आवास बने हुये है, परन्तु उनको राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत पट्टे जारी किये गये है, जबकि इन्हें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत पट्टे जारी करने थे।

अत: प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत इन सभी निगरानी आवेदनों को स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड़ आवंटन के संबंध में पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 एवं इस प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 के अनुसरण में ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अर्न्तगत प्रारुप 23ख में जारी पट्टा विलेख संख्या क्रमश: 12007 दिनांक 08.6.2017, 12011 दिनांक 08.6.2017, 12018 दिनांक 08.6.2017, 12019 दिनांक 08.6.2017, 12022 दिनांक 08.6.2017, 12025 दिनांक 08.6.2017, व 12042 दिनांक 08.6.2017 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, वाटेरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का नक्शा प्लान तैयार करवाकर अनुमोदन करवाये। उसके बाद अप्रार्थी संख्या-2 के राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड़ प्राप्त करने की पात्रता की जांच करे कि उक्त नियम 158 में वर्णित श्रेणी का अप्रार्थी संख्या-2 व्यक्ति है अथवा नही? अप्रार्थी संख्या-2 के पास आवास हेतु मकान या भूखण्ड़ उपलब्ध है अथवा नही? एवं अप्रार्थी संख्या-2 की आय की भी जांच करे। यदि जांच में अप्रार्थी संख्या-2 रियायती दर पर भूखण्ड़ प्राप्त करने का पात्र व्यक्ति होना पाया जाता है तो उन्हें पुन: नियमानुसार भूखण्ड़ आवंटन करने की कार्यवाही करे। साथ ही, ग्राम पंचायत, वाटेरा को यह भी निर्देश दिये जाते है कि यदि अप्रार्थी संख्या-2 का ग्राम वाटेरा में पुराना आवासीय गृह बना हुआ है तो राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत उसे पट्टा विलेख जारी करने की कार्यवाही करे। निर्णय सुनाया गया। इस निर्णय की मूल प्रति पंचायत निगरानी संख्या 252/2020 की पत्रावली के साथ रखी जावे एवं अन्य प्रकरणों की पत्रावलियों में इस निर्णय की छाया प्रति रखी जावे।

18/3/2021
(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:09:22 IST
Reason: SelfAttested